(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.) **GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.**

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

24.06.2025.

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from **01.04.2025**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 04-04-2025 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 425 per day or Rs. 12,750 per month w.e.f. 01.04.2025.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.& O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024Dated Shimla-2, the24.06.20252. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS,
STONE BREAKING & STONE CRUSHING.STONE OPERATIONS,

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01.04.2025** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-	425	12,750
II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone		
Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for		
Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-		
Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/		
Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy		
Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker		

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/		13,560
Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/		
Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/		
Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone		
Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic		
Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant		
Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery		
Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/		

Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher $1\frac{1}{2}$ inch to 2 inch = Rs. 2520 per 100 cft 1 to $1\frac{1}{4}$ inch= Rs. 2811per 100 cft.

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/	493	14,790
Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/		
Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/		
Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji		
or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/		
Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/		
Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop		
Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel		
Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/		
Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/		
Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/		
Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper		
Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill		
Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice		
Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/		
Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi /		
Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter		
/Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable		
Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/		
E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter		
Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work		
Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set		
Operator/Workshop Forman Grade-II.		

HIGHLY SKILLED			Rupees	Rupees		
Carpenter for	r furniture	only/Workshop	Mechanic	Grade-	588	17,640
I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-						
I/Mechanic Al	Round Op	erator /Mason/M	listry and O	Carpenter		
Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/						
Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer						
Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.						

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/	493	14,790
Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill		
Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro		
Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector /		
Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.		

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P

5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 NotiFicAtion No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Public Motor Transport**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01.04.2025**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01.04.2025 as under:-**

General Staff Unskilled

Rs.425 per day, Rs. 12,750 per month

(a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri

(b) Workshop Staff (Unskilled)

(c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semiskilled

Rs. 441 per day, Rs.13,230 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asst. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanisor
- 12. Asst. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt.Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retrader
- Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
- 19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Weld	er, Boring wireman, Rs. 481 per da	У		
Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer	r, Painter, Upholster, Or Rs. 14,430	per month.		
Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retre				
Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation				
period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working				
in the same trade.				

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor	Rs. 534 per day or Rs. 16,020 per month.
GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:	
Group-A Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.	Rs. 481 per day or Rs. 14,430 per month.
Group-B Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.	Rs. 507 per day or Rs. 15,210 per month.
Group-C Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.	Rs. 597 per day Rs. 17,910 per month.

R	UNNING STAFF	Per Day	Per month
1.	Driver	Rs. 540	Rs. 16,200
2.	Conductor	Rs. 493	Rs. 14,790
3.	Cleaner-cum-Conductor	Rs. 461	Rs. 13,830
4.]	Part-Time Booking Clerk	Rs. 295	Rs. 8,850

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adultor non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 24.06.2025 4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. **01.04.2025 as under:-**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/	Rs.425 Daily	Rs 394 Daily
Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/		
Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/	Rs.12,750 Monthly.	Rs. 11,820 Monthly
Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other		
worker doing unskilled job.		

Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.449 Daily.	Rs. 439 Daily
Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman /	Rs. 13,470 Monthly.	Rs. 13,170 Monthly
Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector	, ,	, v
/Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/		
Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/		
Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/		
Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/		
Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film		

Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/ Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI Certificate Holder.

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.493 Daily.	Rs. 454 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter	Rs.14,790 Monthly.	Rs. 13,620 Monthly.
(Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/	KS.I 1,750 Wonting.	10,020 Monthly.
Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/		
Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./		
Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/		
Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/Bar		
ber/Regular machine man/ machinist/		
Welder/Moulder/Cashier/Clerk/(Matric)Munim/receptionist/		
Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer		
(Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who		
are working in the same trade.		

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.		
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/	Rs.513 Daily.	Rs. 475 daily		
Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head	Rs.15,390	Rs. 14,250 Monthly		
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Monthly			
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)				

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

24.06. 2025.

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers		Revised Minimur	n Wages
		Daily	Monthly
UN	SKILLED WORKERS		
1	Felling of trees:	Rs. 425	Rs. 12,750
	1.Lopper (Changi)	Rs. 449	Rs. 13,470
	2.Feller (Garani)	Rs. 435	Rs. 13,050
2	Logging and sawing including timber passing:		
	1.Dresser (Panchani)	Rs. 435	Rs. 13,050
	2.Sawyer (Charani)	Rs. 534	Rs. 16,020
	3.Blacksmith	Rs. 503	Rs. 15,090
3	Carriage, stacking and timber passing by manual labour	:	
	1. Mazdoor for carriage	Rs. 435	Rs. 13,050
	2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs. 435	Rs. 13,050

4 Carriage of timber by Aerial ropeways :

1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs. 534	Rs.16,020
2.Span Mistry	Rs. 503	Rs. 15,090

5 Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bhaan and Darya Bahaan (River floting):

	1. Mohri-wala Mistry	Rs. 573	Rs. 17,190
	2. Taru	Rs. 549	Rs.16,470
	3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 513	Rs. 15,390
	4. Darya-man	Rs. 549	Rs. 16,470
	5. Ghalu	Rs. 468	Rs. 14,040
	6. Jamadar	Rs. 468	Rs. 14,040
6	Mechanised logging and timber extraction:		
	1.Surveyor	Rs. 538	Rs. 16,140
	2.Ski-line Operator	Rs. 503	Rs. 15,090
	3 Truck Driver	Rs. 471	Rs. 14,130
	4. Compressor Driver	Rs. 471	Rs. 14,130
7	Clerical Staff:		
	1.Manager	Rs. 619	Rs. 18,570
	2.Accountant	Rs. 477	Rs. 14,310
	3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 435	Rs. 13,050
	8. Saw Mill Workers:		
	1.Band Saw Mistry		
	2.Supervisor	Rs. 503	Rs. 15,090
	3.Head Mistry	Rs. 496	Rs. 14,880
	4.Boiler Driver	Rs. 503	Rs. 15,090
	5.Assistant Mistry	Rs. 503	Rs. 15,090
	6.Planner Mistry	Rs. 441	Rs. 13,230
	7.Helper	Rs. 441	Rs. 13,230
	8.Cutter man	Rs. 435	Rs. 13,050

		Rs. 435	Rs. 13,050
9	Katha Extraction:		
	1.Feller and Chipper	Rs. 435	Rs. 13,050
	2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 435	Rs. 13,050

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 588. Daily. Rs. 17,640 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

24.06.2025

NOTIFICATION

Dated Shimla-2, the

No. Shram(A)4-1/2024

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 425 Daily.
	Rs. 12,750 Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant	Rs. 439 Daily.
Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant	Rs. 13,170 Monthly.
Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar,	
Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman,	
Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector,	
Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith,	Rs. 493 Daily.
Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar,	Rs. 14,790 Monthly.
Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman,	, U
Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman,	
Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-	
keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	

Highly Skilled

Rs. 588 Daily.

Rs. 17,640 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- **(IV) Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

Dated Shimla-2, the

No. Shram(A)4-1/2024

7. ENGINEERING INDUSTRIES

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled

	Rs. 425 Daily or
	Rs. 12,750 Monthly.
Semi skilled	
Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman	Rs. 439 Daily or
Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head	Rs.13,170 Monthly.
Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-	
III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter,	
Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender,	
Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman,	
Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III,	
Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III,	
Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III,	
Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine	
Driver Grade-III, Oilman.	

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Rs. 493 Daily. Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, **Rs.14,790 Monthly** Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II,Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 456 Daily.

Rs.13,680 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 NOTIFICATION No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 8. TEA PLANTATION

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Tea Plantation**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01.04.2025**;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up	Rs. 425 Daily or
rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning	Rs. 12,750 Monthly.
weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in	
the operation;	

<u>A-Grade Leaves</u> -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 31 per kilogram extra as incentive.

<u>B Grade Leaves</u> If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **23** per kilogram extra as incentive.

<u>C-Grade Leaves-</u> If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 18 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. **31**, Rs. **23** Rs. **18** per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs. 432 per day, Rs. 12,960 per month

Rs. 425 daily

Rs. 12,750 Monthly.

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor,

relling room workers, shifting Mazdoor,

Fermenting room workers, tea boys,

sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,Rs. 425 dailyMuharirs etc. who maintain records of a field workRs. 12,750 Monthly.and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF **OFFICE STAFF**:

1. Accountant	Rs. 649	Rs. 19,470 per accommodation	month plus free
2. Clerks	Rs. 493	Rs. 14,790 per accommodation	month plus free
3. Munshi	Rs. 517	Rs. 15,510 per mont as admissible to clerk	•
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs. 432	Rs. 12,960 per month admissible.	ı plus free benefit as
		Daily	Monthly
5. Compounder		Rs. 602	Rs. 18,060
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 540	Rs. 16,200
7. Mechanic,		Rs. 607	Rs. 18,210
8. Assistant Mechanic		Rs. 538	Rs. 16,140
9. Electrician-cum- Mechanic G	rade-I	Rs. 607	Rs. 18,210
10.Electrician-cum- Mechanic G	rade-II	Rs. 538	Rs. 16,140

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.
- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh. 24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 24.06.2025 9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 0F FACTORIES ACT, 1948

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 425 P.D. or Rs. 12,750 per month
Semi-skilled	Rs. 438 P.D. or Rs. 13,140 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 493 P.D. or Rs. 14,790 per month
Highly-Skilled	Rs. 588 P.D. or Rs. 17,640 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the **10. HOTEL AND RESTAURANTS**

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 04-04-2025 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2025 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/	Rs. 425 Daily	Rs. 394 Daily
Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 12,750 Monthly	Rs. 11,820 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman /	Rs. 449 Daily	Rs. 412
Assistant Baker/ Cook/ Assistant Halwai/Book	Rs. 13,470 Monthly	Rs. 12,360 Monthly.
Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners		
/Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant		
Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant		
Welder/ Assistant Electrician/ Assistant		

Assistant

Salesman/

Barber/

Dhobi/

Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.

SKILLED WORKERS :	Rupees.	Rupees.
Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Stewar	Rs. 493 Daily	Rs. 454 Daily
d/Butler/Draughtsman/TelephoneOperator/Rece		
ptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head		
Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI	Rs. 14,790 Monthly.	Rs. 13,620 Monthly.
certificate holder who		
are working in the same trade.		
Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant	Rs. 513 Daily	Rs. 475
/Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head		
Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/		
Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter	Rs. 15,390 Monthly.	Rs. 14,250 Monthly.
(Tailoring)		

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Private Educational Institutes**" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01.04.2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 425 per day or Rs. 12,750 per month
Semi-skilled	Rs. 449 per day or Rs. 13,470 per month
Skilled	Rs. 493 per day or Rs. 14,790 per month
Highly skilled	Rs. 513 per day or Rs 15,390 per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the

Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 NOTIFICATION Dated Shimla-2, the 12. Hydro Power Projects

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers		Minimum Wages	
	Daily	Monthly	
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.	
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator,	425	12,750	
Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant			
Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant			
Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator,			
Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to			
Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to			
Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi,			
Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to			
Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone			
Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to			

Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR 452 Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Clerk, Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer **588** Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto 14,790

493

17,640

13,560

Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

	Category of	Minimum	Admissibility of	Total Wages	Admissibility of	Total
	Worker	Rates of	25% increase in	arrived at as	20% Tunnel	admissibility
	WORKER					
		Wages	Under-	per column	Allowance over and	of Minimum
			Construction Hydro	no. 3+4	above the	Wages
			Electric Power		Minimum Rates of	
			Projects Located in		Wages as per the	
			Non-Tribal Areas		column no. 5	
		(per day)				
			(per day)	(per day)	(per day)	(per day)
		(Rs.)	/			
			(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(•)		425	100	504	100	
(A)	Unskilled	425	106	531	106	637
(B)	Semi-Skilled	452	113	565	113	678
	Senii-Skiiled	452	115	505	115	078
(C)	Skilled	493	123	616	123	739
(D)	Highly-Skilled	588	147	735	147	882

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Pharmaceuticals' Industries**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01.04.2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 425	Rs. 12,750
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-	Rs. 439	Rs. 13,170
Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant		
Store Munshi, Complaint Attendant.		
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma),	Rs. 493	Rs. 14,790
Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts		
Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.		
Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promoti Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accounta B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.		Rs. 17,640
- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2025.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office		
Boy and Masalchi.	425 Daily	394 Daily
	12,750 Monthly.	11,820 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard Sweeper, Operation Theatre Assistant,	449 Daily.	411 Daily.
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi,	13,470 Monthly	12,330 Monthly.
Complaint Attendant, Ward Boy and		
Ward Attendant (0-3 Years Experience)		
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X- Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher,	493 Daily	454 Daily

ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, 14,79013,620Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, MonthlyMonthly.

CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior	·	475 Daily
Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant	15,390	14,250 Monthly.
and Stenographer	Monthly	

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 15. Domestic Workers

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01.04.2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodati on provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and	425 Daily	359 Daily.
Washer man	12,750 Monthly.	10,770 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	449 Daily.	373 Daily,
	13,470 Monthly	11,190 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	493 Daily.	396 Daily
	14,790 Monthly	11,880 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv)Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh. 24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 16. Safai Karamchari Employment

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages		
	Daily	Monthly	
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 425	Rs. 12,750	
Semi Skilled			
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper,	Rs. 439	Rs. 13,170	
Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.			
Skilled			
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk,	Rs 493	Rs. 14,790	
Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.			
Highly Skilled			
Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer,	Rs. 588	Rs. 17,640	

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh. 24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION Dated Shimla-2, the 17. Security Services

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 425	Rs. 12,750
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Mu	unshi Rs. 439	Rs. 13,170
and Complaint Attendant.		
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accord	unts Rs. 493	Rs. 14,790
Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator	and	
Cashier.		
Highly Skilled		
Security Officer, Security Manager,	Rs. 588	Rs. 17,640

Stenographer and Accountant.

No. Shram(A)4-1/2024

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.

- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
- 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
- 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty

Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

Copy for information and necessary action to:-1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P

Dated Shimla-2, the

- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

No. Shram(A)4-1/2024

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATIONNo. Shram(A)4-1/2024Dated Shimla-2, the24.06.202518. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	425 Daily	394 Daily
	12,750 Monthly	11,820 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant,	449 Daily	439 Daily
Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	13,470 Monthly	13,170 Monthly

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook,	493 Daily	454 Daily
Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,	14,790 Monthly	13,620 Monthly
Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.		· •

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer,	513 Daily.	475 daily
Stenographer, and Accountant.	15,390 Monthly	14,250 Monthly.

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or nonadult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.

24.06.2025

- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.

10. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 24.06.2025 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 19. Workers Working in Toll Tax Barriers

24.06.2025

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2025;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2025** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :-	2 4119	
Peon, Office Boy and Masalchi.	Rs. 425	Rs. 12,750
Semi-skilled:-		
Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security	Rs. 439 p	er day or
Guard and Complaint Attendant.	Rs. 13,17) per month
Skilled:-		
Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator Data Entry Operator and	Rs. 493 p	er day or
Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 14,79) per month
Highly-Skilled:-		
Supervisor, Superintendent, Stenographer and	Rs. 588 p	er day or
Accountant.	Rs. 17,64) per month

NOTE:-

- 1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
- 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
- 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
- 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
- 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must posses a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

24.06.2025

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the Copy for information and necessary action to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
- 2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
- 4. The Sr. Spl. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
- 5. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
- 6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
- 7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2025 dated 09.05.2025.
- 9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 10. Guard File.

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the Government of Himachal Pradesh

शिमला–2 संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः 24.06.2025

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्युनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी:

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजद्री में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसुचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्युनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से 425 रूपए प्रतिदिन या 12,750 रूपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:--

टिप्पणी-ः

- 1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्युनतम मजदुरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- हिमाचल प्रदेश के जन—जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगीः –

(i) अकुशलः अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

तारीखः

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। शिमला–2

.06.2025

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025 2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कृशिंग) ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संकियाओं, पत्थर तुडान और पत्थर पिसाई ⁄ (कृशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गो के कर्मकारों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04. 2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
1	2	3
अकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
<u>भिशती/चिमनी</u> क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड– II_/ गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के	425	12,750
लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन <u>ब्रेकर/स्टोन</u> <u>चिस्लर/स्वीपर/</u> बिटुमन के लिए स्प्रे		
<u>मैन/पाइप</u> लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली / सिक्योरिटी–गार्ड / बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एवं		
रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/		
ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0		
से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।		
अर्धकुशल कर्मकारः	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड– ।। / मैसन ग्रेड––।। / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड––।। / सैनिटरी	452	13,560
फिटर ग्रेड– ।। / पेन्टर / मैल्टर मेट / स्प्रे–मैन रोडज / केन–मैन / बधाणी / अपहोलस्टर /		
फिटर एटैन्डेन्ट / ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / केन—मैन / डिस्टैम्परर ग्रेड—।/फिटर ग्रेड—।।		
फलोर–पालिशर/ / स्टोन ड्रेसर /माली / वैं ल–सिंकर / वहाइट–वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक		
ग्रेड——।।, टर्नर—ग्रेड— —।। / पाइप फिटर ग्रेड——।। / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर /		
सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / डैसर		
(अर्हित / अनुभवी) / हैमरमैन / कुक / वल्कनाईज़र / नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली		
आपरेटर / एटेन्डैन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डैन्ट / टनल जुबली मैन / टनल–मैन		
/ हैल्पर (5 साल और इससे अधिक)/ आयल–क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड–वाचमैन		
/ सहायक–लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन–ड्रैसर / पम्प–एटैन्डेन्ट /औटा		
इलैकिट्रशियन ग्रेड—।। / गार्डनर / गेज–रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट /औटो		
इलैकिट्रशियन / मोटर–मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन–डैशर		
स्टोन-ब्रेकर / राक स्टोन ब्रेकर / स्टोन-क्रेशर	1⁄2 इंच से 2 इंच	
	2520 रुपए प्रति र	सौ घन फुट
	1 इंच से 11⁄4 इंच	व रुपए 2811 रुपए प्रति सौ
	घन फुट	

कुशल कामगारः

	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड– ।/ मैसन ग्रेड– ।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड–।/अप–होलसल्टर	493	14,790
ग्रेड– । / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.–।। / जल		-
आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड– ।। / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर		
ग्रेड– ।/दर्जी या टेलर ग्रेड–।। / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन–ड्रेसर /		

पलम्बर ग्रेड–। /पाईप फिटर ग्रेड–।/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर–आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड––।। / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर–द्र्यइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कशिंगंग प्लांट फिटर / (बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर–आपरेटर / शाफ़्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सकेपर–आपरेटर / लोडर आपरेटर / केन–आपरेटर / युकलिड–आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग–आपरेटर / एस.एल.डी. केन आपरेटर / (बी.) प्लांट–आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शीन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर / कम्पाउन्डर / पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवेलरज सॉ मिल कटर⁄केबल जाइन्टर⁄ फोरमैन ग्रेड——।। ⁄खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई..एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको–आपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क–मिस्त्री / मोटर–मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी॰जी॰सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—।।।

उच्च कुशल

रुपए रुपए केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड– । / चार्ज मैन ग्रेड– । / वर्कशाप **588 17,640** फोरमैन ग्रेड– । / टर्नर ग्रेड– ।/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड– । / सर्वेयर / ड्राफटसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अहिंत) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राईवर/ वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः

रुपए रुपए बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर–कीपर / 493 14,790 स्टोर–मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर –रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क /बिल–क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्पलेंट एटैन्डेन्ट / फैरो–प्रिंटर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा–लिपिक / स्टेनोग्राफर ।

टिप्पणी-ः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जन–जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रों इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवगों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी/लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों मे निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओ में कार्यरत कर्मकारों की दशा मे अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल:-- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध- कुशल:- अर्द्ध- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही है किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल:- कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च— कुशल:— उच्च— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला–2

आदेश द्वारा,

प्रियका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

.06.2025

संख्याः Shram(A)4-1/2024

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

तारीखः

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।

- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

24.06.2025

3. लोक मोटर परिवहन

शिमला–2

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"लोक मोटर परिवहन**" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ)ः

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर–हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	425 रुपए प्रतिदिन	12,750 रूपए प्रतिमास
(ख) वर्कशाप–स्टाफ (अकुशल)	425 रुपए प्रतिदिन	12,750 रूपए प्रतिमास
(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नही है ।	441 रूपए प्रतिदिन	13,230 रुपए प्रतिमास

अर्ध–कुशल

1. सहायक इलैकिट्रशियन

- 2. सहायक मकैनिक
- 3. सहायक फिटर
- 4. सहायक ब्लैक स्मिथ
- 5. सहायक कारपेंटर
- सहायक वैल्डर
- 7. सहायक टर्नर
- 8. सहायक बोरिंग बारमैन
- 9. सहायक मशीनिस्ट
- 10. सहायक कुशन—मेकर
- 11. सहायक बोल्केनाइजर
- 12. सहायक पेंटर
- 13. सहायक अपहोलस्टर
- 14. सहायक टायरमैन
- 15. सहायक स्प्रेमैन
- 16. सहायक इलैकिट्रशियन मकैनिक
- 17. सहायक रिट्रीडर
- 18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष
- की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
- 19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोर्रिंग–वायरमैन, मशीनिस्ट, रुपए **481 प्रतिदिन या** कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे रुपए **14,430 प्रतिमास** पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर।	रुपए 534 प्रतिदिन या
	रुपए 16,020 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप –ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे रुपए **481 प्रतिदिन या** बुक–राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग–क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर रुपए **14,430 प्रतिमास** कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

ग्रुप—बीः

मुख्य–निरीक्षक, रिसेप्श्निस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन रुपए 507 प्रतिदिन या सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर–निरीक्षक रुपए 15,210 प्रतिमास ।

ग्रुप–सीः

हैंड एसिस्टैण्ट / हैड–क्लर्क, ऑडिटर / हैड–कैशियर ।	रुपए 597 प्रतिदिन
	रुपए 17,910 प्रतिमा स

रंनिग–स्टाफः

1 ड्राइवर	रुपए 540 प्रतिदिन रुपए 16,200 प्रतिमास
2 कंडक्टर	रुपए 493 प्रतिदिन रुपए 14790 प्रतिमास

3 कलीनर कम कंडक्टर

रुपए **461 प्रतिदिन** रुपए 13830 प्रतिमास

टिप्पणीः–

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/ कुशल /उच्च- कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एव विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च- कुशल : उच्च- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार । संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार। 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 । 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश । 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में । 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश । 10 गार्ड फाईल।

24.06.2025

शिमला–2 4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

दे पुराग २५ पानिजिप रार्खाने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

न्यूनतम मजदूरा आधानयम,1948 का धारा 9 क साथ पाठत धारा 5 का उपधारा (1) क खण्ड (क) के उपबन्धा के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त ष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

कर्मचारियों का प्रवर्ग कुशल : हेल्पर / शॉप- ऐसिस्टैंट / पल्लेदार / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / वलीनर / पैकर/ मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / वलाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर / मिप्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।	-	
अर्धकुशल :. हैडपोर्टर / पैंटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक–बेकर / गेट–कीपर (सिनेमा)/ सहायक लाइनमैन/ सहायक –आपरेटर/वाइंडर एसीस्टेंट / बिल–कलैक्टर/कनवैसर/कुक/असिटैंट– हलवाई/ बुक–बाइंडर/स्टीचर / रुलिंग–कटिंग औक्शनर/ माली/ सीवरमैन/ होटल–गाइड / सहायक मिस्त्री / सहायक–फिटर / सहायक–टर्नर / सहायक / वेल्डर सहायक–इलैक्ट्रियिन / सहायक–वैल्डर / सहायक–सेल्जमैन / सहायक–बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर–मैन / फिल्म–रिवाइंडर/वेटर/ वेयरर/ ऐसिसटैंट रेडियो मकैनिक / पेंटर /व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क/(नॉन मेट्रिक/ सहायक स्टोर कीपर/ डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक–मशीनमैन/ इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट/ 'आई्टी॰आई प्रमाण पत्र सर्टफिकेट धारक।	रुपए 449 प्रतिदिन तथा रुपए 13470 प्रतिमाह	रुपए 439 प्रतिदिन तथा रुपए 13,170 प्रतिमाह

कुशलः

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मकैनिक ड्राइवर / सहायक **रुपए 493 प्रतिदिन** / कारपेंटर / पलम्बर / रुपए 454 प्रतिदिन टेलर / कटर(टेलरिंग) / स्टुवार्ड / जनरल मकैनिक / रुपए 14,790 मासिक रुपए 13,620 मासिक हलवाई कुक / कन्फैक्शनर / बेकर / बटलर / फिटर / ड्राफटसमैन / टेलीफोन–ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू—मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर /रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वियरर स्टोर–कीपर / हैड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल)/ लाइनमैन आई०टी०आई० प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

उच्च–कुशलः

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य रुपए 513 प्रतिदिन रुपए 475 प्रतिदिन खजानची / हैड–कुक / हैड–बटलर / हैड–बेकर / रुपए 15,390 मासिक रुपए 14,250 मासिक हैड–कन्फैक्शनर / हैड–मकैनिक / इलैकट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणीः–

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहॉ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार । संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार। 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 । 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश । 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में । 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश । 10 गार्ड फाईल।

24.06.2025

शिमला–2 5. वानिकी उद्योग

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मज दैनिक	नदूरी मासिक
	अकुशल कर्मकार		
1	वर्क्षों का गिराना	रुपए 425	रुपए 12,750
	1 त लेबर (छांगी)		
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 449	रुपए 13,470
		रुपए 435	रुपए 13,050
2	लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 435	रुपए 13,050
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 534	रुपए 16,020
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 503	रुपए 15,090
3	ढुलान, ढेरी लगाना और भारिरीक श्रम द्वारा इमारती लव	ञ्डी का हस्तांतरणः	
	1. ढुलाई के लिए मज़दूर।	रुपए 435	रुपए 13,050
	2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मज़दूर।	रुपए 435	रुपए 13,050
4	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाईः		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 534	रुपए 16,020
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 503	रुपए 15,090
5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), न ढुलाईः	ाला बहान और दरिया	बहान और (रिवर फलोटिंग) द्वारा
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 573	रुपए 17,190
	2. বাক	रुपए 549	रुपए 16,470
	3. असिसटैंट मिस्त्री /(हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 513	रुपए 15,390
	4. दरियामैन	रुपए 549	
	5. घालू	रुपए 468	रुपए 16,470
	6. जमादार	रुपए 468	रुपए 14,040
			रुपए 14,040
6	यत्रींकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासीः		
	1. सर्वेयर	रुपए 538	रुपए 16,140
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 503	रुपए 15,090
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 471	रुपए 14,130
	4. कम्प्रेशर ड्राइवर	रुपए 471	रुपए 14,130

7	क्लैरिकल स्टाफ ः 1. मैनेजर 2. एकाउन्टैंट 3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 619 रुपए 477 रुपए 435	रुपए 18570 रुपए 14,310 रुपए 13,050
8	सॉ मिल वर्कर : 1.बैंड सॉ मिस्त्री 2.सुपरवाइजर 3.हैड मिस्त्री 4.बॉयलर ड्राइवर 5.एसिसटैंट मिस्त्री 6.पलेनर मिस्त्री 7.हैल्पर 8.कटर मैन	रुपए 503 रुपए 496 रुपए 503 रुपए 503 रुपए 441 रुपए 441 रुपए 435 रुपए 435	रुपए 15,090 रुपए 14880 रुपए 15,090 रुपए 15,090 रुपए 13,230 रुपए 13,230 रुपए 13,050 रुपए 13,050
9	कत्था निकासी : 1. फैलर तथा चिप्पर 2. कत्था सुपरवाईजर ⁄ कत्था प्रौसेसर	रुपए 435 रुपए 435	रुपए 13,050 रुपए 13,050

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी) ओवरसियर, हैडफोरमैन रुपए **588 दैनिक रुपए 17,640** मासिक

टिप्पणी-ः

1 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः– अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv)उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार । शिमला–2 24.06.2025

संख्या: Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025
1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला–4 ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।
9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2 6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

24.06.2025

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यू	्नतम दरें
अकुशलः	दैनिक रूपए 425	मासिक रूपए 12,750
अर्धकुशलः	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
एसिसटैंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिटेंट–कापरमैन, री–इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट–कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड–।, मशीन लेवलर, सलैक्टर,कटर–कम–मार्किट सैलर, अम्पुलर,हैगमैन, आई₅टी₅आई प्रमाण पत्र (सटिंफिकेट) धारक।	439	13,170

कुशलः	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिटेंट–फोरमैन, हैड–जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड–।।,वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईंजन ड्राइवर, ड्राफटसमैन, एसिस्टैंट–कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।	रूपए 493	रूपए 14,790
	दैनिक	मसिक
उच्च−कुशलः बॉयलर अटेंडैंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।	रूपए 588	रूपए 17,640

टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यक्त या अव्यक्त की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 1. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।

- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए 2. विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों 4. के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। 5

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, (i) जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्त् स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध–कुशलः अर्द्ध–कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कत्त्तीव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल (iv) कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार । तारीखः शिमला–2 संख्याः Shram(A)4-1/2024 24.06.2025 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार। 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 | 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश । 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल।

24.06.2025

शिमला–2 7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के

अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

	दैनिक	मासिक
अकुशल	रूपए	रूपए
	425	12,750

अर्धकुशलः

टेपर ग्रेड– ।।।, टर्नर ग्रेड– ।।।, ड्रिलर ग्रेड– ।।।,रोमर ग्रेड– ।।।, शेयर मैन ग्रेड– ।।।, **दैनिक मासिक** मशीनमैन,मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड– ।।।, ब्रजर ग्रेड– ।।।, हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड– रूपए रूपए ।।।, प्रैस आपरेटर ग्रेड– ।।।, स्प्रे पेंटर ग्रेड– ।।।, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड– ।।।,असैम्बलर ग्रेड– 439 13,170 ।।।,कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड– ।।।, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड– ।।।, मोपर ग्रेड– ।।।,ग्राइंडर ग्रेड– ।।।, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड–मकैनिक, आपरेटर ग्रेड– ।।।, थ्रेड़ / रोलर आपरेटर ग्रेड– ।।।, बुक स्कयू मशीन आपरेटर ग्रेड– ।।।, फीडर ग्रेड– ।।।, डाइमेकर ग्रेड– ।।।, वैल्डर ग्रेड– ।।।, टिनस्मिथ ग्रेड– ।।।, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड– ।।।, डलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड– ।।।,बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड– ।।।, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड ।।।, ऑयलमैन।

कुशलः

उच्च–कुशलः–

टेपर ग्रेड– ।।,टर्नर ग्रेड– ।।, ड्रिलर ग्रेड–।।, शेपर ग्रेड–।। , शेपर मैन ग्रेड– ।।,स्लाटरमैन ग्रेड–	दैनिक	मासिक
।।, मकैनिस्ट आपरेटर∕ब्रजर ग्रेड–।।,लाईनर ग्रेड–।।,स्प्रे पैन्टर ग्रेड–।।, ट्रांस्फर मिकसर	रूपए	रूपए
ग्रेड–।।,प्रैस आपरेटर ग्रेड–।। , असैम्वलर ग्रेड–।।,टेलर ग्रेड–।।,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड–।।, मोपर		
ग्रेड– । ।,ग्राईंडर ग्रेड– । ।,	493	14,790
हैडमशीन आपरेटर ग्रेड–।।,थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड–।।,बुक स्करयू मशीन आपरेटर		
ग्रेड–।।, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड–।।, फिटर ग्रेड–।।, कारपैंटर ⁄पैट रन मेकर ग्रेड–।।,		
डाईमेकर ग्रेड –।।, साइस्टर ग्रेड–।।, वैल्डर ग्रेड–।।, टिनस्मिथ ग्रेड–।।, हैमरमैन ग्रेड–।।,		
ब्लैकस्मिथ ग्रेड—।।, टूलसैटर ग्रेड—।।, ईलैकट्रिक्ल लाईनमैन ग्रेड—।।, ईलेक्ट्रिशियन ग्रेड—।।,		
आरमैचर वाईंडर और कॉईल वाईंडर ग्रेड–।।, केबल ज्वाईंटर ग्रेड–।।, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड–।।,		
लिस्टर डीजल इंजन ड्राईवर ग्रेड–।।, मोल्डर ग्रेड–।।,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र		
धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।		

	दैनिक	मासिक
टर्नर ग्रेड–।,ग्राईडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड–।, शेपर मैन ग्रेड–।,सलाटरमैन ग्रेड–।, मिलर ग्रेड–।,	रूपए	रूपए
इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड–।, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड–।,फिटर ग्रेड–।, कारपेंटर/पैटर्न मेकर	588	17,640
ग्रेड— ।,डाईमेकर ग्रेड— ।,एन्ग्रेवर ग्रेंड— ।, व्लैकस्मिथ ग्रेड— ।,डाईसैटर ग्रेड— ।,टूल सैटर		
ग्रेड–।,इलैक्ट्रिशियन ग्रेड–।।		

दैनिक	मासिक
रूपए	रूपए
456	13,680

टिप्पणीः–

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशलः— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में ष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तुत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

तारीखः

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024

शिमला–2

24.06.2025

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

24.06.2025

शिमला–2 **8.**चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लाटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड रूपए रूपए लापिंग) के लिए, निराई, कांट –छांट करने, गुडाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल 425 दैनिक 12,750 कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित। मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां–यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 31 रूपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप मे मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां–यदि पतियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है, तो उसे 23 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोडता है/तोडती है तो उसे 18 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के –'ए','बी व 'सी' ग्रेड के लिए 31 रूपए, 23 रूपए और 18 रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे ।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को 432 रूपए प्रतिदिन, 12,960 रूपए प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना :	रूपए 425 दैनिक और
इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर,	रूपए 12,750 मासिक
रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मज़दूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार,	
टी ब्वाएज, सार्टज, टी–मेकर्ज,टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।	

प्लाटेशन ः

रूपए 425 रूपए दैनिक रूपए 12,750 मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट कलीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीर्ज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन–टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिस स्टाफः

1.	लेखाकार	रूपए 649 प्रतिदिन रूपए 19470 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
2.	लिपिक	रूपए 493 प्रतिदिन रूपए 14,790 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त आवास।
3.	मुन्शी	रूपए 517 प्रतिदिन रूपए 15,510 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
4.	चपरासी / चौकीदार / चौधरी	रूपए 432 प्रतिदिन रूपए 12,960 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ़्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।

5.	कम्पाउन्डर	रूपए 602	रूपए 18,060
6.	ड्राइवर (जीप∕कार∕ट्रैक्टर)	रूपए 540	रूपए 16,200
7.	मकैनिक	रूपए 607	रूपए 18,210
8.	असिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 538	रूपए 16,140
9.	इलैक्ट्रीशियन–कम–मकैनिक ग्रेड –।	रूपए 607	रूपए 18,210
10.	इलैक्ट्रीशियन–कम–मकैनिक ग्रेड –।।	रूपए 538	रूपए 16,140

टिप्पणीः

एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्युनतम मजदूरी में 1. कोई भिन्नता नहीं होगी।

- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी। 2.
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के 3. लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। 5

अकुशल / अर्द्व-कुशल / की परिभाषा इस प्रकार होगी:--

- अकुशलः– अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन (i) अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध–कुशलः अर्द्ध–कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

दैनिक

मासिक

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः Shram(A)4-1/2024

शिमला–2

24.06.2025

तारीखः 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025 9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड–(ट) में यथापरिभाशित विनिर्माण प्रकिया सहित स्थापना |

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड–(ट) में** यथा परिभाषित विनिर्माण प्रकिया" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारो के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त ष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार	रूपए 425 प्रतिदिन या रूपए 12,750 प्रतिमास
अर्द्ध—कुशल	रूपए 438 प्रतिदिन या रूपए 13,140 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रूपए 493 प्रतिदिन या रूपए 14,790 प्रतिमास
उच्च कुशल	रूपए 588 प्रतिदिन या रूपए 1,7640 प्रतिमास

टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निशिचत स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला–2

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

24.06.2025

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल।
संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2 10. होटल और रैस्टोरेंट

24.06.2025

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां संयुक्त आवास और खाना, चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशलः १.	2.	3.
हैल्पर / चौकीदार / चपरासी /स्वीपर /मसालची /गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लाकरूम अटैंडेंट / पोटर/भिष्ती /	रूपए 425 दैनिक	रूपए 394 दैनिक
बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।	रूपए 12,750 मासिक	रूपए 11,820 मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैंट्रीमैन / कॉफी–टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / रूपए 449 प्रतिदिन रूपए 412 प्रतिदिन कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / स्टिचर / रूलिंग रूपए 13,470 रूपए 12,360 कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री मासिक मासिक / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर/ असिस्टेंट वैल्डर / असिस्टेंट ईलैक्ट्रीशयन / असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन/फिल्म रिवांईडर / वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल कर्मकारः

ड्राइवर / हलवाई / कुक/ कन्फैक्शनर / बेकर/ स्टीवार्ड / बटलर/ ड्राफटसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर /		रूपए 454 दैनिक रूपए 13,620 मासिक
रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वेयरर/ स्टोर कीपर / हैड वेटर	रूपए 14,790 सा।सक	रूपुर 13,620 मासिक
/ हैड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण		
धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।		

```
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउटेंट / हैड रू. 513 दैनिक रू. 475 दैनिक
खजानची / हैड—कुक / हैड—बटलर / हैड—बेकर / रू० 15,390 मासिक रू.14,250 मासिक
हैड—कन्फेक्शनर / हैड—मकैनिक / इलैकट्रीशियन /
फोरमैन / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।
टिप्पणीः
```

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बास ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार। संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार। 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 । 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश । 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में । 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश । 10 गार्ड फाईल ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2 11. निजी शैक्षिणिक संस्थान

24.06.2025

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षिणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:--

अकुशल कर्मकार	रु० ४२५ प्रतिदिन या रु० १२,७५० प्रतिमाह
अर्द्ध—कुशल	रु० 449 प्रतिदिन या रु० 13,470 प्रतिमाह
कु शल ⁻	रु० ४९३ प्रतिदिन या रु० १४,७९० प्रतिमाह
उंच्च कुशल	रु० 513 प्रतिदिन या रु० 15,390 प्रतिमाह

टिप्पणीः

 एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुश या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित हीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5.हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रे.ड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला–2

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

24.06.2025

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।

- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2

24.06.2025

हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं 12.

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी; उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त ष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं--

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक,पम्प		रूपए 12,750
अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का		
सहायक,एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक,		
लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का		
सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का		
सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर		
यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर		
अटेन्डेट, टीएम अटेन्डेट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का		
सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट		
का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर		
सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का		
सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर		
का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर –कम–बेलदार,वॉशर मैन, वाशर मेड,		
ऑफिस बॉय, कले कलीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक,		
मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाईजर का सहायक, मैस सहायक,		
सफाई कर्मचारी ।		

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन रूपए 452 ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर,कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डैण्ट, जनेरेटर अटेन्डेट, लोकोमोटिव अटैन्डेण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोढ़री सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनेरेटर सेट

रूपए 13,560

ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्पलेंट अटैन्डैण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :--

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग रूपए **493** ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी केन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर,लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलेंक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर ,मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाईजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाईजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो केन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रेप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईडंर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर ,स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्पयूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :--

वरिष्ठ केन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ रूपए **588** डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिगं मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर केन ऑपरेटर, वरिष्ठ जेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाईटंर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)। **टिप्पणी:**

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. सुरंगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मज़दूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवंगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेंत्रों में निर्माणाधीण हाइड़ो विधृत परियोजनओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढौतरी लागू होगी।

रूपए 14,790

रूपए 17,640

मज़दूरी की न्यूनतम दरों की गणना उक्त दिए गए उदहारण के अनुसार होगी ।

	कामगार का वर्ग	म्जदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (रूपए)	गैर–आदिवासी क्षेत्रों में स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में 25% वृद्वि की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रूपए)	कॉलम संख्या 3 +4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (रूपए)	कॉलम संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20 % सुरंग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रूपए)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रूपए)
(क)	अकुशल	425	106	531	106	637
(ख)	अर्ध–कुशल	452	113	565	113	678
(ग)	कुशल	493	123	616	123	739
(घ)	अत्यधिक–कुशल	588	147	735	147	882

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: Shram(A)4-1/2024 तारीख: शिमला–2 24.06.2025
1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार।
4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला–4 ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05.
2025 के संदर्भ में ।
9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

शिमला–2 13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

24.06.2025

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"फार्मास्यूटिकल उद्योग "**के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:–

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार	न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग	रूपए 425	रूपए 12,750
हैल्पर, चपरासी, ।		
अर्ध-कुशल कर्मकार :		
तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई),	रूपए 439	रूपए 13,170
पीडब्लयू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट		
स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट,।		

कुशल कर्मकार :--

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल सुपरवाईजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), रूपए 493 रूपए 14,790 ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाईजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर । उच्च कुशल कर्मकार :--सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड रूपए 588 रूपए 17,640 सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बीo फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

		सचिव	ा बासु ईंगटी (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), न प्रदेश सरकार।
संख्याः Shram(A)4-1/2024	तारीखः	शिमला—2	24.06.2025
1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरक	गर शिमला।		
2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि)		सरकार।	
3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाच	ाल प्रदेश ।		
4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रो	जगार मन्त्री हिग	नाचल प्रदेश ।	
5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश	रा ।		
6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4	I		
7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।			
8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश	—171001 को उ	उनके पत्र संख्याः L&E(La	b.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05.
2025 के संदर्भ में ।			
9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।			
10 गार्ड फाईल।			

24.06.2025

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

14. अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक

शिमला–2

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल / नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के

उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:–

कर्मकारों के प्रवर्ग अकुशल कर्मकारः–	•	जहां भोजन,चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
ु हैल्पर, कलीनर, चौकीदार,/ वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय	रूपए 425 दैनिक	रूपए 394 दैनिक
,आफिस ब्वाय और मसालची।	रूपए 12750 मासिक	
,जाम्भरा आप जार गरालया।	Way 12/30 411444	(04) II,020 III(14)
अर्ध- कुशल कर्मकार :-		
कलीनिक अटेन्डेट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन,	रूपए 449 दैनिक	रूपए 411 दैनिक
सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीस्टेन्ट, असीसटेन्ट	रूपए 13,470 मासिक	रूपए 12,330 मासिक
स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट, वार्ड		
ब्वाय / वार्ड अटैन्डेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)		
कुशल कर्मकार :		
रिसॅपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन	, रू. 493 दैनिक	रू.454 दैनिक
एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेंड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडिये	t रू.14,790 मासिक	रू.13,620 मासिक
ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर	,	
ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक	,	
सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई		
रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर	Ţ	
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर		
सुपरवाईजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।		

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाईजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ रूपए **513 दैनिक** रूपए **475 दैनिक** तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, रूपए **15,090 मासिक** रूपए **14,250 मासिक** एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणीः-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदुरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 3. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला–2

24.06.2025

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला–4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।

तारीखः

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश । 10 गार्ड फाईल।

। ତ୍ୟାର ସମହମ ।

งกษณ์สา

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2

24.06.2025

15. घरेलू कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"घरेलू कामगार"**के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के

अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी; उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों

के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:–

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा	जहां भोजन,चाय और
	उपलब्ध नहीं करवाई	संयुक्त आवास सुविधा
	गई है	उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकारः		
	*0	*0

हेल्पर,आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।	रूपए 425 दैनिक	रूपए	359 दैनिक
	रूपए 12,750 मासिक	रूपए	10,770 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :--सिक्योरिटी गार्ड, माली ।

रूपए 449 दैनिक	रूपए 373 दैनिक
रूपए 13,470 मासिक	रूपए 11,190 मासिक

कुशल कर्मकार :--

कुक और चालक	रूपए 493 दैनिक	रूपए 396 मासिक
	रूपए 14,790 मासिक	रूपए 11,880 मासिक

टिप्पणीः

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- अकुशलः– अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन (i) अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-क्शलः उच्च-क्शल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो क्शल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार। शिमला–2

24.06.2025

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

संख्याः Shram(A)4-1/2024

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।

तारीखः

- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला–2

24.06.2025

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"सफाई कर्मचारी नियोजन"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के

अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी; उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों

के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:–

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:	न्यूनतम मजदूरी दैनिक	मासिक
स्वीपर / सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रूपए 425	रूपए 12,750
अर्ध– कुशल कर्मकार :– वर्क सुपरवाईजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डैंट।	रूपए 439	रूपए 13,170
कुशल कर्मकारः– चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर। उच्च कुशल कर्मकारः–	रूपए 493	रूपए 14,790
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर और स्टेनो ग्राफर।	रूपए 588	रूपए 17,640

टिप्पणीः-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

 अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः Shram(A)4-1/2024

शिमला–2

24.06.2025

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।

तारीखः

9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

24.06.2025

शिमला—2 17. <u>सुरक्षा सेवाएं</u>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"सुरक्षा सेवाए"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:--

c	· ·	· ·	c
कर्मक	ਹਾ	क	गतग
97197	1 \ 1	47	341

अकुशल कर्मकार:	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	रूपए 425	रूपए 12,750
अर्ध-कुशल कर्मकारः		
सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डैंट।	रूपए 439	रूपए 13,170
कुशल कर्मकार :		
सिक्योरिटी सुपरवाईजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर,अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर	रूपए 493	रूपए 14,790
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।		
उच्च कुशल कर्मकार :		
सिक्योरिटी ऑफिसर , सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	रूपए 588	रूपए 17,640
Fund-		

- टिप्पणीः-
 - एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
 - 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
 - जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 - 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 - 5. सुरंगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मज़दूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
 - गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रर्वगों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 - 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेंत्रों में निर्माणाधीण हाइड्रो विधुत परियोजनओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य मेंष्शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार। 24.06.2025 संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार। 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 । 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश । 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में । 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश । 10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

24.06.2025

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

शिमला–2

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **"मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं"** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के

अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी; उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते है:—

कर्मकारों के प्रवर्ग		जहां भोजन,चाय और संयुक्त
	उपलब्ध नहीं करवाई	आवास सुविधा उपलब्ध
	गई है	करवाई गई है
अकुशल कर्मकार :		
चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।	रूपए 425 दैनिक	रूपए 394 दैनिक
	रूपए 12,750 मासिक	रूपए 11,820 मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल रूपए 449 दैनिक रूपए 439 दैनिक अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, रूपए 13,470 मासिक रूपए 13,170 मासिक माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेट।

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक,	रूपए 493 दैनिक	रूपए 454 दैनिक
मौलवी,ग्रन्थी,पादरी,स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर	रूपए 14,790 मासिक	रूपए 13,620 मासिक
ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।		
उच्च कुशल कर्मकार:-		
सुपरवाईजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक,स्टेनो ग्राफर	रूपए 513 दैनिक	रूपए 475 दैनिक
और अकाउन्टेन्ट,	रूपए 15,390 मासिक	रूपए 14,250 मासिक

टिप्पणीः-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशलः– अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तुत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

शिमला–2

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः Shram(A)4-1/2024

तारीखः

24.06.2025

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।

- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।

10 गार्ड फाईल।

संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः

शिमला—2 19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

24.06.2025

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के

अनुसार अधिसूचना संख्याः श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी; उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्तष्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैः– कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-	न्यूनतम	मजदूरी
5	दैनिक	मासिक
चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।	रूपए 425	रूपए 12,750

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

केश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और रूपए 439 प्रतिदिन रूपए 13,170 प्रतिमाह कम्पलेन्ट अटैन्डैट ।

कुशल कर्मकार :--

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री रूपए 493 प्रतिदिन रूपए 14,790 प्रतिमाह ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :--

सुपरवाईजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट । रूपए 588 प्रतिदिन रूपए 17,640 प्रतिमाह

टिप्पणीः-

- एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यक्त या अव्यक्त की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की

जाएगी।

- जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। अक्शल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:--
- (i) अकुशल:— अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें साामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवष्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशलः अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निष्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नही हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्त्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यो के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशलः कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईंगटी सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन), हिमाचल प्रदेश सरकार। संख्याः Shram(A)4-1/2024 तारीखः शिमला–2 24.06.2025 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला। 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार। 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 4 वरिष्ट विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश । 5 वरिष्ट निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 । 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश । 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश–171001 को उनके पत्र संख्याः L&E(Lab.)M.W.A.C./2025 तारीख 09.05. 2025 के संदर्भ में । 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश । 10 गार्ड फाईल।